

अतिआवश्यक
राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/नर्स-प्रथम/से0नि0पार्ट-1/30119/2025/26

दिनांक :- 27/1/2025

1. अधीक्षक, जिला अस्पताल, पावटा जिला जोधपुर
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
अराजकीय ए0के0 चिकित्सालय, ब्यावर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक/जोधपुर ग्रामीण/रतनगढ़।

विषय:-सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव निदेशालय को विलम्ब से भिजवाये जाने पर विलम्ब के उत्तरदायी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर भिजवाने बाबत।

संदर्भ:-आपके कार्यालय पत्रांक 24 दिनांक 17.01.2025, 215-19 दिनांक 08.01.2025, 24.12 2024, क्रमांक 09. दिनांक 07.01.2025 क्रमांक 5437 दिनांक 18.12.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के पत्रांक 08 दिनांक 19.01.2024 के विन्दु संख्या 02 पर अकिंतानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाकर समस्त नियन्त्रक अधिकारीयो को निर्देशित किया गया था कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के प्रस्ताव ई-डाक के माध्यम से प्रत्येक कार्मिक के अलग-2 प्रस्ताव निदेशालय को सेवानिवृत्ति तिथी से छःमाह पूर्व भिजवाये जावे, जबकि आपके कार्यालय के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के प्रस्ताव एक माह या पन्द्रह दिवस पूर्व निदेशालय को भिजवाये गये है, जिससे सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने में अनायास ही विलम्ब होता है, जो उच्चाधिकारीयो के आदेशों की स्पष्ट अवेहलना की श्रेणी में आता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विलम्ब से प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने के कारणों को स्पष्ट कराते हुए प्रकरण के संबंध में उत्तरदायी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर आपके द्वारा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब अवगत करावे, एवं भविष्य में विलम्ब की स्थिति में पडने वाले विपरीत प्रभाव के लिये संबंधित नियन्त्रक अधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/नर्स-प्रथम/से0नि0पार्ट-1/30119/2025/26

दिनांक :- 27/1/2025

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
5. रक्षित/गार्ड पत्रावली।

DFA

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 25-01-2025 02:27:30